to by the State Government into the allegations against the Chief Minister made by Shri M. Karunanidhi, Leader of the Opposition in the Tamil Nadu Legislative Assembly, regarding the deal between Poompuhar Shipping Corporation of Tamil Nadu and a Bulgarian State-owned Organisation, for the purchase of bulk carriers. The request of the Chief Minister was referred to the Chief Justice of India who expressed his inability to spare the services of a sitting Judge for the inquiry. The Chief Minister of Tamil Nadu was informed accordingly. In view of this position, the question of appointing a Commission by the Central Government did not arise.

Amount Refunded by Orissa Government under integrated Tribal Development Programme

125. SHRI A. G. DAS: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is fact that the Orissa Government has refunded a viable unspent money, under Integrated Tribal Development Programme Schemes to the Union Government in the year 1978-79;

(b) if so, the reason thereof; and

(c) the project-wise details may be placed on the Table of the Lok Sabha?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

सीमेंट के वितरण के लिए योजना

126. श्री मूलचन्द डागा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट के वितरण के लिये कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस समय देश में सीमेंट की कितनी कमी है और इस कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है और यह कमी कब तक दूर कर दी जायेगी ?

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटारामन) : (क) देश में सीमेंट का उचित मूल्य पर युक्ति-युक्त वितरण तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उसका विनियमन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 (छ) तथा 25 के अन्तर्गत जारी किये गये सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के उपबंधों के अन्तर्गत किया जाता है। देश में सीमेंट की संभावित उपलब्धता का अनुमान प्रत्येक तिमाही के आरम्भ में लगाया जाता है तथा विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों एवं केन्द्रीय सरकार के विभागों को उपयुक्त मात्रा में इकट्ठे सीमेंट का आबंटन किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खुदरा वितरण का नियंत्रण, राज्य संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत सीमेंट को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है।

(ख) देश में आंतरिक उत्पादन तथा सीमेंट का आयात करने से सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि होने के बावजूद सीमेंट की काफी कमी है। देश में भविष्य में मिलने वाली सीमेंट की मात्रा बढ़ाने के लिए स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(1) भूटान तथा नेपाल को छोड़कर देश से बाहर सीमेंट का निर्यात करने पर रोक लगा दी गई है।

(2) सरकारी तथा निजी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए अनेक नये लाइसेंस तथा आशय-पत्र जारी किये गये हैं।

(3) सीमेंट के संरक्षण के लिए अपनाये गये विभिन्न अभ्युपायों पर मंत्रिमंडल की एक उप-समिति इस समय विचार कर रही है। सीमेंट के स्थान पर बुझे हुए चूने, पैड़ी हल्क सीमेंट सगोल चूने का गारा आदि जैसी सामग्री का इस्तेमाल करके सीमेंट का संरक्षण किया जा रहा है।

4. देश में सीमेंट का आयात किया जा रहा है।

5. सड़क द्वारा सीमेंट परिवहन के भाड़ा प्रतिपूर्ति संबंधी विद्यमान नियमों को उदार बना दिया गया है।

6. सरकार ने बिजली कटौती के दौरान कैप्टिव पावर का उपयोग करने के लिए सीमेंट का उत्पादन करने के मामले में सहायता की मंजूरी दी है।

7. सीमेंट का उत्पादन करने के लिए कोयले की पर्याप्त पूर्ति न होने के कारण मिट्टी के तेल का उपयोग करने के लिए सरकार ने सीमेंट उद्योग को सहायता देने की घोषणा की है।